

प्रेषक,

संजय के. लाल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 08, आगरा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा : श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,
आगरा।

विषय:- पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 9792 / VIIIb -104 / Admin D Section Dated 19.07.2024 के सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं0 20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 26-07-2024

भवदीय,

Sanjay Lal
26/7/24

(संजय के. लाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-08, आगरा।
J.O. No. UP6481

संलग्नक:-

शासनादेश सं0 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1) 2024
दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं0 20 / 2024 / सा-3-276
/ दस-2024 / 301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

पत्रांक सं. 3866/xv दिनांक 26.7.24
अग्रसारित

जिला जज, आगरा
26.07.24

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक :-

विकल्प पत्र

1. नाम
2. वर्तमान पदनाम
3. वेतनमान
4. वर्तमान विभाग का नाम
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
6. विज्ञप्ति की तिथि
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि
8. योगदान की तिथि
9. जन्मतिथि
10. सेवा निवृत्ति की तिथि

संजय के. लाल
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगरा

144840-194860

न्याय विभाग

उ०प्र० लोक सेवा आयोग

15, नवम्बर 2003

(विज्ञापन सं० A-2/E-1/2003)
(प्रकाशित 22-28, नवम्बर, 2003
रोजगार समाचार)

26.05.2006

उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग-4
(सं. 2430/दो-4-06-32(1)/2001
टीसी-1)

16.06.2006

04.08.1974

31.08.2034

मैं संजय के. लाल पुत्र स्व० इतवारी लाल शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

Sanjay Lal
(संजय के. लाल) 26/7/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

घोषणा पत्र

मैं संजय के. लाल, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Sanjay Lal
(संजय के. लाल) 26/7/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री संजय के. लाल पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगरा (उ०प्र०)